न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 2019/00035
19/2019

अपीलान्टस

1. भुराराम वल्द कन्हैयालालजी जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी रोपसी तहसील रानीवाडा जिला जालोर

रेस्पोडेण्टस

1. रावताराम वल्द समरथाजी
2. कलु
3. मोनी
4. सुबटी पुत्रीयान समरथाजी
5. मोटाराम
6. रूपाराम पिसरान कन्हैयालालजी तमाम जातियान जाट निवासीयान रोपसी तहसील रानीवाडा जिला जालोर
7. ग्राम पंचायत रोपसी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रोपसी तहसील रानीवाडा।

म्युटेशन अपील बनाराजगी म्युटेशन संख्या 843 दिनांक 05.12.2013

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित
2. रेस्पोडेण्टस अधिवक्ता श्री आदुराम चौधरी

–: निर्णय :–

दिनांक – 24.10.2019

1. अपीलाण्टस द्वारा रेस्पोडेण्टस के विरूद्व एक म्युटेशन संख्या 843 दिनांक 05.12.2013 के संबंध में अपील प्रस्तुत की है जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रोपसी तहसील रानीवाडा में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के पूर्वाधिकारी समरथा वल्द देवा तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 रावता ने खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 167 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.01 हैक्टेयर खसरा नम्बर 169 रकबा 0.23 हैक्टेयर खसरा नम्बर 171 रकबा 0.21 हैक्टेयर खसरा नम्बर 172 रकबा 0.10 हैक्टेयर खसरा नम्बर 173 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.72 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 200 रकबा 0.81 हैक्टेयर जुमले कुल रकबा 2.57 हैक्टेयर कीमतन खरीद की थी तथा उक्त आराजी में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के पिता व अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 5 से 6 के दादा समरथा वल्द देवा का 1/2 हिस्सा शामलाती था। कालान्तर में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 5 व 6 के

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Scanned by CamScanner

दादा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के पिता समरथाजी के फौत होने पर उक्त आराजी की खातेदारी वीरा पत्नि समरथा तथा अपीलान्ट रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज हुई तथा वीरा पत्नि समरथा के फौत होने पर उक्त आराजी की खातेदारी जरिये म्युटेशन संख्या 834 के अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त आराजी में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा खरीद सुदा अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा समरथा वल्द देवा व वीरा पत्नि समरथा से उत्तराधिकारी में प्राप्त पुश्तैनी है। सरपंच ग्राम पंचायत रोपसी ने म्युटेशन संख्या 843 को स्वीकृत करने से पुर्व उक्त आराजी बाबत निष्पादीत हक तर्कनामा दिनांक 05.06.2017 पंजीयन दिनांक 06.06.2013 में वर्णित तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया जबकि उक्त हक तर्कनामा दिनांक 05.06.2013 पंजीयन दिनांक 06.06.2013 में पेज नम्बर 3 व 4 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 ने अपने माता पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त हिस्से को ही अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 5 व 6 के पक्ष में तर्क किया हैं तथा उक्त आराजी में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 रावताराम का 1/2 हिस्सा यथावत रहेगा। ऐसी स्थिति में उक्त म्युटेशन संख्या 843 हकतर्कनामा दिनांक 05.06.2013 पंजीयन दिनांक 06.06.2013 के विपरीत होने से प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य है। म्युटेशन संख्या 843 को स्वीकृत करने से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रोपसी ने अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। इसलिये सरपंच ग्राम पंचायत रोपसी द्वारा म्युटेशन संख्या 843 को स्वीकृत करने की कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित होने के काबिल निरस्त है।

2. उक्त आराजी बाबत निष्पादीत हक तर्कनामा दिनांक 05.06.2013 पंजीयन दिनांक 06.06.2013 के जरिये रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 ने समरथा वल्द देवा व वीरा पत्नि समरथा से उत्तराधिकार में प्राप्त हिस्से को ही अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 5 व 6 के पक्ष में तर्क किया था, परन्तु उक्त म्युटेशन संख्या 843 के जरिये उक्त सम्पुर्ण आराजी अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 5 व 6 के नाम दर्ज करने का आदेश पारीत करने में सरपंच ग्राम पंचायत रोपसी ने भारी भूल की है। म्युटेशन संख्या 843 की कार्यवाही हक तर्कनामा दिनांक 5.6.2013 के अनुसार नहीं होने से उक्त म्युटेशन संक्ष्या 843 काबिल निरस्त है।

3. उक्त म्युटेशन संख्या 843 की जानकारी अपीलाण्ट को प्रथम बार उक्त आराजी की जमाबंदी हल्का पटवारी से लेने पर दिनांक 9.10.2018 को हुई, तब अपीलाण्ट ने म्युटेशन संख्या 843 की नकल दिनांक 11.10.2018 का हासील की तो अपीलाण्ट को जानकारी हुई कि उक्त म्युटेशन संख्या 843 हकतर्कनामा दिनांक 5.6.2013 अनुसार स्वीकृत नहीं किया गया हैं तथा उक्त म्युटेशन संख्या 843 गलत स्वीकृत किया गया है।

4. उक्त म्युटेशन संख्या 843 की कार्यवाही हक तर्कनामा दिनांक 5.6.2013 पंजीयन दिनांक 6.6.2013 के अनुसार नहीं होने से प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य तथा प्राकृतिक सिद्वान्त के विपरित होने से उक्त म्युटेशन संख्या 843 को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है, परन्तु उक्त म्युटेशन संख्या 843 की जानकारी अपीलाण्ट को प्रथम बार दिनांक 9.10.2018 को होने से तथा उक्त म्युटेशन संख्या 843 की नकल दिनांक 11.10.2018 को अपीलान्ट को प्राप्त होने से अपील अंदर म्याद पेश है, फिर भी अपीलान्ट

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रानीवाड़ा जिला जालोर

Scanned by CamScanner

की अपील को यदि अंदर म्याद नहीं माना जावें तो उक्त म्युटेंशन अपील करने को हुये डीले को कंडोन करने हेतु अलग से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। इसलिए अपीलान्ट की अपील को अंदर म्याद शुमार किया जावें।

5. रेस्पोडेण्टस की ओर से अधिवक्ता कोई जवाब प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं अतः रेस्पोडेण्टस का जबाव बंद किया गया।

6. सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को सुना गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत म्युटेशन अपील राजस्व रेकर्ड में तर्कनामा दस्तावेज के अनुरूप इन्द्राज से संबंधित है। जिसकी जानकारी अपीलाण्टस को उक्त आराजी की जमाबंदी हल्का पटवारी से लेने पर दिनांक 09.10.2018 को हुई। ग्राम पंचायत रोपसी द्वारा ना0 क0 संख्या 843 स्वीकृत करते समय अपीलाण्टस को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के विपरीत होने से अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

7. हमने अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन कर मनन किया। अपीलाण्टस द्वारा तर्कनामा पंजीबद्व दस्तावेज दिनांक 06.06.2013 का अध्ययन किया, उक्त तर्कनामा दस्तावेज में तर्कग्रहिता रेस्पोडेण्टस ने कृषि भूमि को तर्क की गयी है, जिसमे तर्ककर्त्ता द्वारा निम्नानुसार उल्लेखित है।

" हम रावताराम वल्द समरथारामजी, कलु मौनी सुबटी पुत्रीयान समरथारामजी जातियान जाट निवासीगण रोपसी तहसील रानीवाडा जिला जालोर उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 167,168, 169, 171, 172, 173, 199, 200 जुमले रकबा 2.57 हैक्टेयर सरहद मौजा रोपसी तहसील रानीवाडा में स्थित में सें समरथाजी व वीरा से उत्तराधिकारिता में प्राप्त 1/2 हिस्सा की आराजी में से हमारे हिस्से की सम्पुर्ण आराजी को आज रोज आप हमारे सगे भतीज भूराराम, मोटाराम, रूपाराम पिसरान कन्हैयालालजी जातियान जाट निवासीगण रोपसी तहसील रानीवाडा जिला जालोर के पक्ष में तर्क करते है, अब उपरोक्त तर्कसुदा आराजी आप तर्कग्रहिता की सम्पति है। "

8. उक्तानुसार बेचान दस्तावेज के संदर्भ में नामान्तरण संख्या 843 खोला गया जिसका अवलोकन किया। जिसमें निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :

नामान्तरण संख्या 843 दिनांक 5.12.2013 के स्वीकृत अनुसार भूराराम ,मोटाराम, रूपाराम पि0 कन्हैयालाल कौम जाट सा0 देह खातेदार दर्ज किया गया।

9. उक्त इन्द्राज के आधार पर जमाबंदी में इन्द्राज किया गया जो तर्कनामा दस्तावेज के अनुरूप नही है, जो राजस्थान भू–राजस्व (अभिलेख) नियम 1957 के प्रावधानों के अनुरूप नही है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरण संख्या 843 विधिक त्रुटि का होने से

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रानीवाड़ा जिला जालोर

Scanned by CamScanner

राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करने हेतु उक्त नामान्तरण को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

10. अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत रोपसी द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 843 स्वीकृत दिनांक 05.12.2013 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त नामान्तरणकरण के आधार पर जमाबंदी में किये गये इन्द्राज भी प्रभाव शुन्य धोषित किये जाते है। तथा उक्त ना0 संख्य 843 को तहसीलदार रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रर्ड हक तर्कनामा दस्तावेज पंजीयन संख्या 2012004963 दिनांक 06.06.2013 का अध्ययन कर उसके अनुरूप नामान्तकरण खोलने की विधिक प्रकिया अनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(प्रकाशचन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2019.12.02 13:59:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: